2022 को दी गई, तब सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी के द्वारा दिनांक 05.09.2022 को विद्युत प्रभारी उपयंत्री से प्रतिवेदन चाहा गया और इसके उपरांत दिनांक 07.09.2022 को विद्युत प्रभारी उपयंत्री के प्रतिवेदन के आधार पर जैम प्लेस प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त की जाकर जैम प्लेस बिड नं. जीईएम/2022/बी/2531068 दिनांक 13.9.22 एवं अंतिम दिनांक 23.09.2022 को अपलोड किया गया तथा तत्कालीन उपयंत्री विद्युत प्रभारी के द्वारा बिड मे पर्याप्त निरीक्षण व परीक्षण के बाद फायनेंशियल बिड दिनांक 23.09.2022 को खोली गयी तथा इसके बाद 26.09.2022 को निविदा समिति के समक्ष रखा जाकर संलग्न तुलनात्मक पत्रक के अनुसार बिड में दो निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया तथा दरों मे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने से तकनीकी अमले सहित निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.09.2022 मे निविदा समिति के तकनीकी अमले के सदस्यों द्वारा पर्याप्त विश्लेषण किया जाकर सामग्री क्रय करने के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5(5) (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकाय में क्रय की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जो जैम पोर्टल में उपलब्ध है, को भारत सरकार के जैम के माध्यम से ही क्रय किये जाने के लिये प्राधिकृत करता है, के प्रावधानों के अंतर्गत जैम प्लेस की निविदा के तहत क्रय की गयी है तथा उपयंत्री, सहायक यंत्री सहित अभिमत के लिये अध्यक्ष निविदा समिति द्वारा सामग्री 36 वाट की स्ट्रीट लाइट एल.ई.डी. सूर्या कंपनी की जैम प्लेस बिड में न्यूनतम दर एल–1 पर राशि रूपये 4,98,400/– (3560/– रूपये प्रतिनग) की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान की जाकर सक्षम व्यय/वित्तीय व्यय की स्वीकृति दिनांक 26.09.2022 को दी गई और इसके उपरांत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा सेंक्शन आर्डर कान्ट्रेक्ट नंबर 511687740544206, दिनांक 26.09.2022 को दिया गया एवं दिनांक 02.02.2023 को स्टॉक पंजी में सामग्री प्राप्त होने पर विद्युत लाईन मेन श्री मेहतराम बरमईया को विद्युत सामग्री फर्म श्री आनंद एसोसिएट्स नागपुर के द्वारा वाहन एम.पी. 22–आर–1250 श्री गुरूनानक ट्रांसपोर्ट के वाहन के माध्यम से सूर्या कंपनी की एल.ई.डी. 26 वॉट 140 नग मानस भवन स्टोर में प्रदान किया गया जिसका निरीक्षण/परीक्षण निकाय के उपयंत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पार्षद/सभापति आकांक्षा सीटू सेंगर के द्वारा किया गया है तथा किदवई वार्ड पार्षद/सभापति की मांग के अनुरूप जनहित मे छिंदवाडा रोड एवं नगर के 24 वार्ड मे स्ट्रीट लाइट व्यवस्था अवरूध होने के कारण जन प्रतिनिधियों एवं जनमानस में भारी आक्रोश को देखते हुए नियमानुसार विद्युत सामग्री क्रय की गई है, इस प्रकार उक्त मार्गीय प्रकाश व्यवस्था और जनहित को दृष्टिगत रखते हुये क्रय किया जाकर उपयोग किया गया है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नही की गई है तथा मध्य प्रदेश शासन के जैम पोर्टल की प्रक्रिया व नियमों का पालन किया जाकर सामग्री को क्रय किया गया है तथा मेरे द्वारा निकाय हित व जनहित को दृष्टिगत रखते हुये आम जन को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।"

<u>विवेचना :–04</u>

श्री शफीक खान को नगर पालिका परिषद, सिवनी में 140 नग 26 वॉट एल.ई.डी. लाइट बिना ब्रांड के तथा UADD-ISSR-2021 में अंकित दर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दर पर क्रय कर नगर पालिका परिषद, सिवनी को राशि रूपये 1,36,000/– की आर्थिक हानि पहुंचायें जाने के लिये आरोपित किया गया है। श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं अभ्यावेदन का उपलब्ध अभिलेखों एवं नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में कहा गया है कि 26 वॉट की 140 नग एल.ई.डी. लाइट जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की समस्त कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की गई है। प्रतिवाद उत्तर के साथ उनके द्वारा क्रय संबंधी नोटशीट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें नस्ती अध्यक्ष को अंकित किया जाना नहीं पाया गया है, किन्तु जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत नोटशीट में 26 वॉट के 140 नग एल.ई.डी. लाइट क्रय किये जाने की सक्षम स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया है। अभ्यावेदन में उल्लेखित श्री शफीक खान का यह कथन सही नहीं पाया गया है। प्रस्तुत अभिलेखों में क्रय की गई सामग्री किस कम्पनी की है, इसका कही कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। 26 वॉट एल.ई.डी. लाइट की दर UADD-ISSR-2021 में राशि रूपये 2589 प्रति नग अंकित है, जबकि नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा राशि रूपये 3557 प्रति नग की दर से उक्त सामग्री क्रय की गई है, जिससे निकाय को राशि रूपये 1,36,000/– की आर्थिक हानि होना पाया गया है। निविदा दरों की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की गई है। श्री शफीक खान द्वारा अध्यक्ष के रूप में निविदा समिति द्वारा अनुशंसित दर को स्वीकृत किया गया है। नस्ती में उनके द्वारा दरों के औचित्य के संबंध में कोई टीप अंकित किया जाना नहीं पाया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार अध्यक्ष का दायित्व है कि वे परिषद के वित्तीय तथा कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखेंगे, जिसका पालन करने में श्री शफीक खान विफल रहे है।

अतः प्रकरण में अपेक्षाकृत अधिक दर पर अमानक स्तर की सामग्री क्रय करने के लिये नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ–साथ श्री शफीक खान भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी पाये जाते है, उन पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–05

यह कि उक्त अवधि मे नगर पालिका परिषद, सिवनी में दिनांक 26.09.2022 को 120 नग 36 वॉट LED Light क्रय किया जाना पाया गया है। जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम दर आपके द्वारा राशि रूप्ये 4150/– प्रति नग स्वीकृत की गई है। प्रदायकर्ता को राशि रुपये 4,98,000/– का भुगतान किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त दर का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा इस पर विचार नहीं किया गया कि प्राप्त दर प्रचलित बाजार दर के अनुरूप है या नहीं। क्रय की गई LED Light कोई प्रतिष्ठित Brand की नहीं पाई गई है। बिना Brand के 36 वॉट LED Light की दरें ऑनलाइन लगभग राशि रूपये 900 प्रति नग दर्शित है तथा बजाज कम्पनी की Branded LED Light की दर राशि रूपये 1800/– प्रति नग ऑनलाइन दर्शित है। आपके द्वार बिना Brand की LED Light प्रतिष्ठित Brand की Light की प्रचलित बाजार दर से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद, सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायकर्ता एवं स्वयं को अवांछित आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है। अभिलेखों में सामग्री की Test एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि नहीं पाई गई है। सामग्री क्रय किए जाने में नियमों में वर्णित प्रक्रिया का खुला उल्लंघन किया जाना पाया गया है जिसके लिए निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

प्रतिवाद उत्तर–05

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त बिन्दु पर मुझे आरोपित किया गया है जिसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण में विद्युत प्रभारी उपयंत्री सुश्री बिन्देश्वरी पन्द्रे

की माँग दिनांक 05.09.2022 के अनुसार 26 वाट की फल्ड लाइट नगरीय प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत तत्कालीन समय में गणेश उत्सव पर्व तथा नवरात्रि पर्व होने के कारण तथा नगर मे अत्यधिक अंधकार होने के कारण स्ट्रीट लाइट के क्षतिग्रस्त होने व मरम्मत कार्य में लगने वाली सामग्री स्टॉक में उपलब्ध ना होने से विद्युत प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये 36 वाट की एल.ई.डी. लाइट लगाये जाने हेतु उपयंत्री के द्वारा स्टीमेट स्पेसिफिकेशन व्यय सहित रिपोर्ट दिनांक 05.09.2022 को दी गई, तब सहायक यंत्री श्री संतोष तिवारी के द्वारा दिनांक 05.09.2022 को विद्युत प्रभारी उपयंत्री से प्रतिवेदन चाहा गया और इसके उपरांत दिनांक 07.09.2022 को विद्युत प्रभारी उपयंत्री के प्रतिवेदन के आधार पर जैम प्लेस प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त की जाकर जैम प्लेस बिड नं. जीईएम/2022/बी/2531218 दिनांक 13.9.2022 एवं अंतिम तिथि 23.09.2022 को अपलोड किया गया तथा तत्कालीन उपयंत्री विद्युत प्रभारी के द्वारा बिड में पर्याप्त निरीक्षण व परीक्षण के बाद फायनेंशियल बिड दिनांक 23.09.2022 को खोली गई तथा इसके बाद 26.09.2022 को निविदा समिति के समक्ष रखा जाकर संलग्न तुलनात्मक पत्रक के अनुसार बिड में दो निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया तथा दरों मे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने से तकनीकी अमले सहित निविदा समिति की बैठक दिनांक 26.09.2022 में निविदा समिति के तकनीकी अमले के सदस्यों द्वारा पर्याप्त विश्लेषण किया जाकर सामग्री क्रय करने के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5 (5) (12) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकाय में क्रय की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जो जैम में उपलब्ध है, को भारत सरकार के जैम के माध्यम से ही क्रय किये जाने के लिये प्राधिकृत करता है, के प्रावधानों के अंतर्गत जैम प्लेस की निविदा के तहत क्रय की गई है तथा उपयंत्री, सहायक यंत्री सहित अभिमत के लिये अध्यक्ष निविदा समिति द्वारा सामग्री 36 वाट की स्ट्रीट लाइट एल.ई.डी. सूर्या कम्पनी की जैम प्लेस बिड में न्यूनतम दर एल–1 पर राशि रूपये 4,98,000/– (रूपये 4150/– प्रतिनग) की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान की जाकर सक्षम व्यय/वित्तीय व्यय की स्वीकृति दिनांक 26.09.2022 को दी गयी और इसके उपरांत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा सेंक्शन आर्डर कान्ट्रेक्ट नंबर 511687758371025, दिनांक 26.09.2022 को दिया गया एवं दिनांक 02.02.2023 को स्टॉक पंजी में सामग्री प्राप्त होने पर विद्युत लाईन मेन श्री मेहतराम बरमईया को विद्युत सामग्री फर्म श्री आनंद एसोसिएट्स नागपुर के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 22–आर–1250, श्री गुरूनानक ट्रांसपोर्ट के वाहन के माध्यम से सूर्या कंपनी की एल.ई.डी. 36 वाट 120 नग मानस भवन स्टोर में प्रदान किया गया, जिसका निरीक्षण/परीक्षण निकाय के उपयंत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित पार्षद/सभापति आकांक्षा सीबु सेंगर के द्वारा किया गया है तथा किदवई वार्ड पार्षद/सभापति की मांग के अनुरूप जनहित में छिंदवाडा रोड एवं नगर के 24 वार्ड मे स्ट्रीट लाइट व्यवस्था अवरूध होने के कारण जन प्रतिनिधियों एवं जनमानस में भारी आक्रोश को देखते हुये नियमानुसार विद्युत सामग्री क्रय की गई है इस प्रकार उक्त मार्गीय प्रकाश व्यवस्था और जनहित को दृष्टिगत रखते हुये क्रय किया जाकर उपयोग किया गया है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये सामग्री क्रय नही की गई है तथा मध्य प्रदेश शासन के जैम पोर्टल की प्रक्रिया व नियमों का पालन किया जाकर, सामग्री को क्रय किया गया है तथा मेरे द्वारा निकायहित व जनहित को दृष्टिगत रखते हुये आम जन को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है।"

विवेचना–05

अधिरोपित आरोप में श्री शफीक खान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सिवनी को 12 नग 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट प्रचलित बाजार दरों से अधिक दर पर तथा अमानक स्तर का क्रय किया जाकर निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये आक्षेपित किया गया है।

आरोप के संबधं में श्री खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर तथा अभ्यावेदन का नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

नगर पालिका परिषद सिवनी में 120 नग 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट जैम पोर्टल के माध्यम से रूपये 4150 प्रति नग की दर से क्रय की गई है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार क्रय की गई एल.ई.डी. लाइट कोई प्रतिष्ठित ब्रांड की नहीं पाई गई है। समिति द्वारा बजाज कम्पनी की 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट की दरें ऑनलाइन चैक की गई, जिसमें बजाज कम्पनी की एल.ई.डी. लाइट की दर 1800 रूपये प्रति नग दर्शित है। निकाय द्वारा बिना ब्रांड की अमानक साम्ग्री प्रचलित बाजार दर से लगभग दोगुनी दर पर क्रय की गई हैं, जिससे निकाय को आर्थिक हानि संभावित है।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में अधिरोपित आरोप के संबध में उल्लेख किया गया है कि 120 नग 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई हैं। क्रय की गई लाइट सूर्या कम्पनी की हैं तथा न्यूनतम दर की अनुशंसा निविदा सम्िति द्वारा की गई है। प्रतिवाद उत्तर के साथ उनके द्वारा निविदा समिति का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रूपये 4150 प्रति नग की न्यूनतम दर की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। निविदा सम्िति के कार्यवाही विवरण में भी प्राप्त दरें किस कम्पनी की हैं, उल्लेखित नहीं किया गया है। जांच समिति द्वारा 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट की ऑनलाइन दरें चैक की गई, जिसमें बजाज कम्पनी की 36 वॉट एल.ई.डी. लाइट 1800 रूपये प्रति नग पाई गई है, इससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा संगनमत होकर प्रचलित बाजार दर से अधिक दर पर एल.ई.डी. लाइट क्रय की जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है, जिसके लिये नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अधिकारियों के साथ–साथ अध्यक्ष, श्री शफीक खान, नगरपालिका परिषद, सिवनी भी उत्तरदायी पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मार्गीय प्रकाश व्यवस्था के संचालन संधारण हेतु विद्युत सामग्री तथा नगर में विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाइट स्थापना का कार्य पृथक–पृथक नोटशीट के माध्यम से खण्डों में विभक्त कर कराया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार हाईमास्ट लाइट स्थापना कार्य का प्रमाणीकरण सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराया जाना नहीं पाया गया है। क्रय को जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट भी अभिलेखों में नहीं पाई गई है। अभिलेखों से ऐसा परिलक्षित होता है कि जानबूझकर सामग्री खण्डों में विभक्त कर पृथक–पृथक नोटशीट के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक दरों पर सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की गई है। क्रय प्रक्रिया में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है। हाईमास्ट लाइट कार्य के लिये न तो कोई प्राक्कलन तैयार किया गया और न ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिससे उपरोक्तानुसार गंभीर अनियमितताएं कारित हुई हैं। जिसके लिये निकाय के अधिकारियों के साथ–साथ श्री शफीक खान भी उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया है।

आरोप क्रमांक–06

यह कि उक्त अवधि में नगर पालिका परिषद, सिवनी में आपके द्वारा 5000 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। फिनोलिक पाउडर का क्रय जेम पोर्टल से तुलनात्मक पद्धति से किया गया, जिसकी न्यूनतम दर 49 रुपए प्रति किलोग्राम थी। न्यूनतम दर की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया हैं। जांच प्रतिवेदन अनुसार

इसके अतिरिक्त अलग–अलग दिनांको में खंड–खंड करके निकाय में फिनोलिक पाउडर क्रय किया जाना पाया गया है। अभिलेख अनुसार दिनांक 08.06.2023 को 5000 किलोग्राम दर रुपये 49 प्रति किलोग्राम, दिनांक 14.07.2023 को 2892 किलोग्राम दर रुपये 34.51 प्रति किलोग्राम, दिनांक 14.08.2023 को पुनः 5000 किलोग्राम दर रुपये 49.9 प्रति किलोग्राम, दिनांक 04.10.2023 को 2840 किलोग्राम दर रुपये 40 प्रति किलोग्राम दिनांक 29.01.2024 को 1400 किलोग्राम दर रुपये 64 प्रति किलोग्राम एवं दिनांक 08.03.2024 को 2450 किलोग्राम दर रूपये 33.90 प्रति किलोग्राम इस प्रकार कुल 19222 किलोग्राम फिनोलिक पाउडर दिनांक 08.06.2023 से दिनांक 08.03.2024 तक 9 माह की अवधि में रुपये 34.51 प्रति किलोग्राम की दर से लेकर रुपये 64 प्रति किलोग्राम तक की दर से क्रय किया गया है।

अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फिनोलिक पाउडर की आवश्यकता का कही आंकलन नहीं किया गया। आंकलन करके वर्ष भर की आवश्यक मात्रा के लिए दर आमंत्रित की कार्यवाही नहीं की गई तथा जानबूझकर आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिक दरों पर नियमों का खुला उल्लंघन करते हुये खण्ड–खण्ड करके फिनोलिक पाउडर क्रय करने की कार्यवाही की गई। अधिक दर पर सामग्री क्रय किए जाने से निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना परिलक्षित होता है। यही नही मात्र 09 माह की अवधि में 19222 कि.ग्रा. फिनोलिक पाउडर की आवश्यकता का कोई औचित्य भी अभिलेखों में नहीं पाया गया है, जिससे पूरी क्रय प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसके लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

<u>प्रतिवाद उत्तर–06</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि 5000 कि.ग्रा. फिनोलिक पाउडर क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उसे जैम पोर्टल से कम्प्रेयर पद्धति से किया गया है तथा तुलनात्मक पत्रक कम्प्रेयर प्रोडक्ट में केटेगिरी करन्ट एल–1 पर रुपये 49/– प्रति कि.ग्रा. की दर प्राप्त हुयी और तुलनात्मक पत्रक के अनुसार दरें, दिनॉक 26.05.2023 को निविदा समिति के समक्ष स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री, अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा सामग्री की दर पर्याप्त निरीक्षण व परीक्षण करने के उपरांत न्यूनतम दर में क्रय की करने की अनुशंसा की गयी तथा दिनांक 08.06.2023 को फर्म सिद्धी विनायक इंटरप्राईजेज़, भगत सिंह वार्ड, मोती नगर, सागर के द्वारा चालान क्रमांक 2023/2024/025 दिनांक 03.01.2023 में 5000 कि.ग्रा. फिनोलिक पाउडर प्रदान किये जाने के उपरांत उसकी टेस्टिंग भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. परीक्षण संस्थान गोविन्दपुरा भोपाल में करायी गयी, जिसमें उक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता वाली पाये जाने से नगर के सभी वार्ड में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया गया तथा नगर के ट्रिचिंग ग्राउन्ड में डोरली छतरपुर क्षेत्र के ग्राम वासियों के द्वारा जन आंदोलन मख्खी और दुर्गंध के लिये किया गया और इस कारण संक्रमक बीमारियों के भय बने रहने से छिड़काव कराये जाने के उद्देश्य से सामग्री स्वच्छता निरीक्षक को सौपी गयी तथा सामग्री का उपयोग जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किया गया तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये उक्त सामग्री क्रय नही की गयी तथा सामग्री क्रय किये जाने में शासन के जैम प्रक्रिया व नियमों का पूर्ण पालन किया गया है तथा मेरे द्वारा निकाय हित को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में आमजन को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

यह कि दिनांक 14.07.2023 को भाव पत्र कोटेशन के माध्यम से कार्बोलिक पाउडर 2892 कि.ग्रा. अर्श इंटरप्राइजेज कोलार रोड भोपाल से रुपये 34.50/– प्रति कि.ग्रा. की दर से क्रय की गयी और निकाय में उक्त सामग्री 14.07.2023 को ही प्रदान की गयी जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार एम.एस.एम.ई. परीक्षण प्रयोग शाला गोविन्दपुरा, भोपाल